प्रेस नोट दिनांक 25.08.2026

थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़

थाना देल्हूपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता: डकैती की योजना बना रहे 04 शातिर बदमाश अवैध असलहों एवं उपकरणों सहित गिरफ्तार,

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा डकैती की योजना बना रहे 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 08 जिन्दा कारतूस 32 बोर, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा डकैती में प्रयुक्त होने वाले हथौड़ा, छेनी, पिलास, रस्सी एवं 03 काले कपड़े बरामद किए गए।

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा कुशफरा गांव में डकैती की घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से एकत्रित होना बताया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में मेराज उर्फ आदिल, सैफ, सादाब एवं नौशाद उर्फ नुशाद शामिल हैं।

अभियुक्त सैफ एवं मेराज उर्फ आदिल के विरुद्ध पूर्व से कई अभियोग पंजीकृत हैं, जिनमें लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट एवं आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास जैसे जघन्य अभियोग भी शामिल हैं।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी देल्हूपुर श्री राधेश्याम के नेतृत्व में थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा डकैती की योजना बना रहे 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध असलहे, जिन्दा कारतूस एवं डकैती में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बरामद किए गए।

घटना का संक्षिप्त विवरण—
दिनांक 24.08.2026 को चौकी प्रभारी अमित कुमार सिन्हा मय हमराह पुलिस बल रात्रि गश्त एवं वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे। मान्धाता मोड़ पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बदमाश शनिदेव धाम गेट के आगे स्थित बाग में एकत्र होकर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं तथा उनके पास अवैध असलहे भी हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम द्वारा आवश्यक कार्यवाही एवं ब्रीफिंग के उपरान्त मुखबिर को साथ लेकर शनिदेव धाम गेट के सामने स्थित बाग के पास पहुंचकर घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देखकर बदमाशों द्वारा भागने का प्रयास किया गया, जिसमें पुलिस टीम

द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 01 अभियुक्त अंधेरे का लाभ उठाकर मोटरसाइकिल से मौके से फरार हो गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—
1. मेराज उर्फ आदिल पुत्र मुस्तकीम, नि0 ग्राम शोभीपुर, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष।
2. सैफ पुत्र इकरार, नि0 ग्राम जद्दोपुर दिवैनी, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष।
3. सादाब पुत्र इसराइल, नि0 ग्राम चकसारा, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष।
4. नौशाद उर्फ नुशाद पुत्र मो0 गयास, नि0 ग्राम बरसण्डा, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 21 वर्ष।

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उनके साथ साहिल खान पुत्र निजाम खान, नि0 ग्राम पतुलकी, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ भी मौजूद था, जो पुलिस टीम को देखकर मोटरसाइकिल से मौके से फरार हो गया।

आपराधिक इतिहास-
1- अभियुक्त सैफ पुत्र इकरार, निवासी जद्दोपुर दिवैनी, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास—
1. मु0अ0सं0-24/2024, धारा-356 भादवि0, थाना-सिगरामऊ जनपद जौनपुर।
2. मु0अ0सं0-40/2024, धारा-395/412/420/465/471 भादवि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0, थाना-जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0-135/2024, धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना-जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0-27/2025, धारा-191(2)/191(3)/117(2)/190/115(2)/352/351(3)/333/131/109(1)/288/324(5) बीएनएस, थाना-देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0-174/2023, धारा-3/25 आर्म्स एक्ट, थाना-देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0-59/2025, धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना-देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।
7. मु0अ0सं0-137/2026, धारा-310(4)/310(5)/3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना-देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

2- अभियुक्त मेराज उर्फ आदिल पुत्र मुस्तकीम, निवासी शोभीपुर, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास—
1. मु0अ0सं0-40/2024, धारा-395/412/420/465/471 भादवि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0, थाना-जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0-135/2024, धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना-जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0-712/2021, धारा-392/411 भादवि0, थाना-कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0-80/2022, धारा-4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0, थाना-मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

5. मु0अ0सं0-81/2022, धारा-3/25 आर्म्स एक्ट, थाना-मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0-137/2026, धारा-310(4)/310(5)/3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना-देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी—
गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 01 अदद अवैध देसी पिस्टल 32 बोर, 08 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर, 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर तथा 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। इसके अतिरिक्त एक काले रंग के बैग से 01 अदद लोहे का हथौड़ा, 01 अदद लोहे की छेनी, 01 अदद लोहे का पिलास, प्लास्टिक की रस्सी तथा 03 अदद काले रंग के कपड़े के टुकड़े बरामद हुए। अभियुक्तों के कब्जे से 03 अदद मोबाइल फोन तथा मौके से 02 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। बरामद मोटरसाइकिलों के सम्बन्ध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए एक मोटरसाइकिल को ई-चालान ऐप के माध्यम से धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

पूछताछ का विवरण—
गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे सभी आपस में मिलकर कुशफरा गांव में डकैती की घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से एकत्र हुए थे। अभियुक्तों ने यह भी बताया कि उनके पास बरामद हथौड़ा, छेनी, पिलास एवं रस्सी का प्रयोग घटना को अंजाम देने में तथा काले कपड़ों का प्रयोग अपनी पहचान छिपाने के लिए किया जाना था। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा अपने फरार साथी साहिल खान के संबंध में भी जानकारी दी गई। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किया जा रहा है।

पुलिस की कार्यवाही—
गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना देल्हूपुर पर मु0अ0सं0 137/2026 सम्बन्धित धारा 310(4), 310(5), 3(5) बीएनएस एवं 3/25 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। बरामद अन्य सामान को भी नियमानुसार कब्जा पुलिस में लिया गया।

पुलिस टीम—
चौकी प्रभारी अमित कुमार सिन्हा, उ0नि0 मुकेश कुमार, उ0नि0 शिवा प्रजापति, का0 विनय पटेल, रि0का0 शुभम, रि0का0 आकाश, रि0का0 प्रदीप खरवार एवं का0 उपेन्द्र कुमार सहित थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

नोट— पुलिस द्वारा सतर्कता एवं त्वरित कार्यवाही करते हुए डकैती की योजना को विफल किया गया तथा चार अभियुक्तों को अवैध असलहे एवं डकैती में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं प्रकरण में अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही हेतु पुलिस टीम द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

दुष्कर्म, अपहरण, पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा दुष्कर्म, अपहरण, पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त विभाकर सिंह चौहान को को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायण वैस के कुशल पर्वेक्षण/ नेतृत्व में प्र भारी निरीक्षक थाना कुण्डा श्री अरविन्द कुमार सिंह मय हमराह का0 भूपेन्द्र सिंह, का0 हरेन्द्र चौधरी, म0का0 प्रिया सिंह, म0का0 वन्दना यादव मय चालक का चालक अभिमन्यु सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137 (2)/87/64 (1) बीएनएस व 5(L)/5(J)2/6 पाक्सो एक्ट) थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ से संबंधित 01 अभियुक्त विभाकर सिंह चौहान पुत्र अलखनिरंजन निवासी ग्राम पटोरी थाना पवई जिला पन्ना (म0प्र0) उम्र करीब 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. विभाकर सिंह चौहान पुत्र अलखनिरंजन निवासी ग्राम पटोरी थाना पवई जिला पन्ना (म0प्र0) उम्र करीब 24 वर्ष।

पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक थाना कुण्डा श्री अरविन्द कुमार सिंह मय हमराह का0 भूपेन्द्र सिंह, का0 हरेन्द्र चौधरी, म0का0 प्रिया सिंह, म0का0 वन्दना यादव मय चालक का चालक अभिमन्यु सिंह थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, गाली-गलौज व धमकी देने वाला वांछित अभियुक्त को थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्तविशाल गौतम को क्षेत्रान्तर्गत जौनपुर मोड़ ढकवा कट नेशनल हाइवे के पास से गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।
वादिनी के अनुसार इंस्टाग्राम के माध्यम से विशाल पुत्र गुड्डू, निवासी शाहपुर, थाना बदलापुर, जनपद जौनपुर से उसकी जान-पहचान हुई। अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर वादिनी को दिनांक 16.11.2025 को नासिक बुलाकर अपने किराये के कमरे पर ले जाया गया, जहाँ शादी का विश्वास दिलाते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। वादिनी के पिता की मृत्यु दिनांक 14.12.2025 को होने के उपरान्त अभियुक्त उसे बदलापुर लाकर घर भेज दिया तथा बाद में शादी से इनकार करते हुए गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने लगा। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना आसपुर देवसरा में अन्तर्गत धारा 69/352/351 (3) बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री राकेश कुमार चौरसिया नेतृत्व में थाना आसपुर देवसरा के उ0नि0 शिवम त्रिपाठी मय हमराह का0 शिवम यादव व का0 अजीत चौहान द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 69/352/351 (3) बीएनए थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ से संबंधित 01 अभियुक्त विशाल गौतम पुत्र सुरेन्द्र गौतम उर्फ गुड्ड उम्र करीब 21 वर्ष नि0ग्रा0 शाहपुर थाना बदलापुर जनपद जौनपुर को थाना क्षेत्रान्तर्गत जौनपुर मोड़ ढकवा कट नेशनल हाइवे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. विशाल गौतम पुत्र सुरेन्द्र गौतम उर्फ गुड्ड उम्र करीब 21 वर्ष नि०ग्रा0 शाहपुर थाना बदलापुर जनपद जौनपुर।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 शिवम त्रिपाठी मय हमराह का0 शिवम यादव व का0 अजीत चौहान थाना आसपुर जनपद प्रतापगढ़।